

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तारीख  
में जारी हुए।

10.02.25 पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील अम।  
अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल  
प्राप्त। अप्रार्थीगण सं. 1 से 4  
को रुक - रुक कर तीन बार  
आवाज दिलवाई गई। कोई उपस्थित  
नहीं। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय  
कार्यवाही अमल में लाई जाती  
है। प्रार्थी अधिवक्ता श्री सगताराम  
चौधरी द्वारा एकपक्षीय बहस कर  
निवेदन किया कि मौजा बिजरोल  
खेड़ा, पटवार हल्का बिजरोल में प्रार्थी  
की कुश्तनी भूमि खाता नं 56 कै. ख.  
नं. 409, 486, 487, रकबा कुश्त, 1.26 हे,  
0.05 हे, 4.03 हे. कुल रकबा 5.34 हे.  
एवं खाता सं. 57 कै. ख. नं. 410 रकबा  
0.27 हे. उस प्रकार कुल रकबा 5.61  
हे. की आर्क हुई है जो प्रार्थी व  
अप्रार्थी की कुश्तनी भूमि है, जिसमें  
प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है जो अप्रार्थी  
सं. 1 जगाराम (परिवार के मुखिया) के  
नाम से रूनी है। जो वयोवृद्ध है।  
अप्रार्थी सं. 2, 3 के नियत में जोटे  
आने उक्त भूमि को बैचान करने  
पर तुल्य हुये है। अतः निवेदन कि  
अप्रार्थीगण को रेकर्ड व मौजे की  
अवस्थास्थिति बनाये रखने हेतु अस्वादि  
निषेधना से पाबंद किया जावे।  
कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी का बैचान  
रहने या हस्तांतरण नहीं करे।

गौर  
चौर)

र  
गर)

सहायक कलेक्टर, सांचौर  
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर  
D. T. O.



तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय तहसील पर मनन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन अवलोकन किया। वादग्रस्त धाराजी प्रार्थी की पैदास संपत्ति होना सिद्ध होता है। इस प्रकार प्रकरण अन्त में प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है।

-! आदेश !-

अतः मौजा बिजरोल खेड़ा परिवारहका बिजरोल तहसील सांचौर के ख.नं. 409 486, 487, कुल रकबा 5.34 हे. व ख.नं. 410 रकबा 0.27 धाराजी की अप्रार्थीगण राजस्व रैकॉर्ड की मूल वाद के निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखेंगे; इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलेक्टर, सांचौर  
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर